

फद अहकाम

(नियम - 26)

अज अदालत

उपरकोट

रुधिकारी

नीमकाथाना

किस्म मुकदमा

प्राथना पत्र

मु.न.

342

वर्ष 2017

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
117	<p>रिपोर्ट सारिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से श्री <u>सरपनारायण यादव</u> एडवोकेट हाजिर। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर किया जावे।</p> <p>प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है, तथा प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दु पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत नूनियों को खुद बुर्द व हस्तान्तरण करने तथा रहन के लिए आमादा हो रहे हैं। प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण आगामी पेशी दिनांक <u>12/9/17</u> तक विवाद ग्रस्त आराजी खसरा नम्बर <u>खसरा नं 128 रकबा खसरा नं 127 रकबा 0.03</u></p> <p>अवस्थित ग्राम <u>मावडा मार. एम</u> तहसील नीमकाथाना जिला सीकर के <u>केचान नदी को एवं क्रिड मि मघादिपति</u> बनाये रखें।</p> <p>प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस की तामील को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक से मिजवाना सुनिश्चित करें। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करें। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम 3(क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें। अन्यथा अन्तरिम आदेश को आयन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की गई है, में परिवर्तन की दशा में संशोधन/वैकेट कर दी जायेगी। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस मय आदेश तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक <u>12/9/17</u> को पेश हो।</p>	



10/7 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उपास्थित
P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्त है,
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 11/2/21
को पेश हो। 4

11/7 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उपास्थित
P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्त है
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 14/11/20
को पेश हो। ✓

14/11/23 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उपा.।
P.O. साहब युनाय कार्य में व्यस्त
होने से पत्रावली पूर्वाआदेशानुसार
दिनांक 23/1/24 को पेश हो। 8

23/1/24 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उपास्थित
P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्त है,
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 22/3/24
को पेश हो। 8

23/1/24 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना व वकील प्रार्थना
अनुपस्थित। वकूलाय उपास्थित (पत्रावली)
उपास्थित लगवाने के उपरांत भी प्रार्थना की
ओर ले कोई उपस्थित नहीं आया। इतना
प्रार्थना का प्रार्थना पत्र डाक द्वारा जारी उपास्थित
पत्रावली में खाती मिला जाता है पत्रावली पूर्व
शुभार लेख नम्बर है कान लेख दस्ता (4/1/24)

हो

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)